ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड व तहसील नूरपुर, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कमनाला , विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति रजनी महाजन	23-01-11 से अद्यतन

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजय कुमार	2009 से 30-09-16

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में}
1 .	6	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.66
2.	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे	0.96
3..	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	13.40
4.	9	औपचारिकताओं के पूर्ण किये बिना खरीद करने बारे	3.88
5.	10	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	4.93

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कमनाला , विकास खण्ड व तहसील नूरपुर , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28-01-2017 से 03 -02-2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय कमनाला में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 11 /13, 02/15 व 08/15 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07/13, 02/15 व 11/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 29 दिनांक 03-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कमनाला से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत कमनाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

{1}स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत कमनाला के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	115952	377146	493098	209041	284057
2014-15	284057	425672	709729	49274	660455
2015-16	660455	52850	713305	563277	150028

{2} अनुदान:- ग्राम पंचायत कमनाला के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	1602881	1805838	3408719	2379269	1029450
2014-15	1029450	2466067	3495517	2595389	900128
2015-16	900128	3368081	4268209	2927714	1340495

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB jassur	20032005435	169737
2.	KCCB jassur	0057463198	4714
3.	KCCB jassur	0052044682	73854
4.	KCCB jassur	50052044706	57625
5.	KCCB jassur	50052044693	31317
6.	KCCB jassur	50052044739	92714
7.	KCCB jassur	20032006369	1330
8.	KCCB jassur	20032072355	26604
9.	PNB jassur	3720001021 24 654	12085
10.		Cash in hand	90
11.		Cash in hand	553
		TOTAL	**1470523**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1470523

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹ 1490523

अन्तर ₹20000

अन्तर का करण:- चैक न०000174 दिनांक 9.03.16, ₹20000/-बैंक में जमा किया परन्तु बैंक द्वारा 31-03-16 तक खाते में जमा नहीं किया l

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा l यह खाता पंचायत

निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए तीन रोकड़ बही व नौ पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 नियमों के विरुद्ध नौ बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्धारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार छ: बैंक बचत खाते खोले गए है। अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए अतिरिक्त तीन खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.66 लाख का वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 तक पंचायत के राजस्व ₹66250 की वसूली शेष थी।

गृ हकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	35750	9500	45250	----	45250
2014-15	45250	10000	55250	----	55250
2015-16	55250	11000	66250	------	66250

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्यौरे के अनुसार पिछले सात वर्षो से गृह कर की वसूली पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है व न ही उक्त राशि को वसूलने के लिए पंचायत द्वारा कोई विशेष प्रयास किए जा रहे है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त राशि को शीघ्र वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से₹0.96 लाख अधिक व्यय करने बारे:-

ग्राम पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान पंचायत घर के शीर्ष के अन्तर्गत ₹95718, इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹13.40 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्धारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹1340495 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्धारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:26 दिनांक 03-02-17 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत कमनाला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 प्रधान ग्राम पंचायत को जारी अग्रिम ₹1.05 लाख के समायोजन में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं बारे:-

वाउचर संख्या-71 माह 2/15 के अंतर्गत ₹105000 का अग्रिम, प्रधान ग्राम पंचायत को किया गया अग्रिम समायोजन की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

(क) उक्त अग्रिम राशि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई थी। जब उक्त राशि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी की गई थी तो उक्त राशि को एक मुश्त प्रधान को अग्रिम के रूप में

भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त राशि को माह 2/15 में अग्रिम के रूप में जारी किया गया था जबकि इसका समायोजन माह 3/16 में प्रधान द्वारा किया गया था एक वर्ष से अधिक उक्त राशि को व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि उक्त राशि में से केवल ₹92150 ही विभिन्न निर्माण कार्यों की निर्माण सामग्री हेतु व्यय किए गए व बकाया शेष ₹12850 वापिस पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उक्त बकाया राशि को रसीद संख्या:456845 दिनांक 03-02-17 द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही जमा करवा दिया गया जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 3.88 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹388005 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या:27 दिनांक 03-02-17 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत कमनाला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय की गई ₹ 4.93 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण , भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹492698 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :27 दिनांक 03-02-17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कमनाला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के ऑडिट द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण अवधि का भंडार प्राप्ति

व उपयोग लेखा तैयार कर जाँच हेतु आगामी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

11. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : - 28 दिनांक 03-02-17 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत कमनाला को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
4.	डाक टिकट रजिस्टर
5.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
6.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
7.	रसीद बुक रजिस्टर
8.	खाताबही
9.	मस्ट्रोल रजिस्टर

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

15 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 92/2017–खण्ड–1–2792–2796 दिनाँकः4.5. 2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर व तहसील नूरपुरे, जिला कांगडा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर व तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881